

विदित है कि यह प्रक्षेपास्त्र भारतीय वायु सेना के प्रयोग के लिए है और इससे हमारी रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जैसा सभा को मालूम है, हमने इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता पर विशेष बल दिया है और कल का सफल प्रक्षेपण इस कार्यक्रम का एक और मील का पत्थर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसके समर्पित वैज्ञानिकों के दल ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि यह सभा उनके द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी सराहना करने में मेरा साथ देगी।

अपरान्ह 12.02 बजे

[अनुवाद]

(दो) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रधानमंत्री (श्री एच. डी. देवेगीड़ा): एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रों के प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना हुई है। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली की बेहतर मॉनीटरिंग के साथ उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव है।

जैसाकि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कह गया है, इस संबंध में शुरूआत अर्थात् खाद्यान्न जारी करके करने का प्रस्ताव है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती है।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो० लाकडावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जैसाकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत 10 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उठान को इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आवश्यकता से अधिक है, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि.ग्रा. चावल/गेहूं प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है।

यह सर्वविदित है कि चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया है। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः तीन और चार बार वृद्धि की जा चुकी है। इन संशोधनों और अन्य आनुषंगिक खर्चों में वृद्धि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सरकार का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

निर्गम मूल्य रु./कि.ग्रा.	फसल			गेहूं कुल उपसाधना
	कॉमन	सॉईन	सुपर फसल	
1. गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	-	2.50 8282.90
2. गरीबी रेखा से	-	6.50	7.50	4.50

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुनियादी रूप में गरीबों पर केन्द्रित है और इससे गरीबी रेखा से नीचे के 32 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य राज सहायता की राशि लगभग आठ हजार करोड़ रुपये की होगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 180 लाख मी. टन खाद्यान्न जारी किये जाने की संभावना है।

कोई भी राज्य जो बड़ी संख्या में लोगों को इस स्कीम में शामिल करना चाहता है या दी जाने वाली मात्रा के पैमाने में वृद्धि करना या मूल्य कम करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते वह अपने स्वयं के संसाधनों से खाद्यान्नों और निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ-भोगियों की पहचान करना, उन्हें विशेष कार्ड जारी करना और इन अभिप्रेत लाभ-भोगियों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1363/97]। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी और इस बात पर नजर रखेंगी कि हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गों को खाद्यान्नों की उनकी हकदारी बिना नागा नियमित रूप से मिलती रहे।